

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई०ए०एस०

राजस्व अपील सं. 18/2023

अपीलांटगण-	बनाम	रेस्पोंडेंट्स -
1. श्री सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा।		1. श्री पुजराम पुत्र मोमता 2. श्रीमती मेथी पत्नी मोमता 3. श्री भूरा पुत्र थाना 4. श्री रतना पुत्र भीमा 5. श्री मंगला पुत्र भीमा 6. श्री तिलोका पुत्र भीमा 7. श्री उदा पुत्र भीमा 8. श्रीमती अगरो पत्नी भीमा जातियान पुरोहित, निवासीयान इन्द्राणा, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा।

रेफरेन्स आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सहपठित धारा 82 व 9 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरुद्ध आदेश दिनांक 13.07.1974 जो नामान्तरकरण सं. 589 दिनांक 15.10.1985 पर तहसीलदार सिवाना द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :-

1. श्री राजकीय पैरोकार उपस्थित।
2. रेस्पोंडेंटगण की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र सिंह सोढ़ा उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 16.04.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत मौजा इन्द्राणा, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा के खेत खसरा नंबर 800 रकबा 149.06 बीघा के तहसीलदार सिवाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.07.1974 के विरुद्ध दिनांक 21.06.2022 को न्यायालय अति. जिला कलक्टर, बाड़मेर तथा दिनांक 01.11.2023 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया हैं।
2. प्रस्तुत रेफरेंस आवेदन पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा इन्द्राणा, तहसील सिवाना की भूमि खसरा नं. 800 रकबा 149.06 बीघा गत बन्दोबस्त के समय गैर मुमकिन ओरण राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। तहसीलदार सिवाना ने अपने

जिला कलक्टर
बालोतरा

आदेश दिनांक 13.07.1974 के जरिये अप्रार्थी को उक्त ग्राम इन्द्राणा के खसरा नं. 800/1(1380/800) रकबा 35.03 बीघा (नया खसरा संख्या 1495/800 रकबा 0.0405 हैक्टर) भूमि गैर मुमकिन ओरण के बजाय गैर मुमकिन बाड़ा दर्ज बिना जॉच भूमि का आवंटन कर दिया। तहसीलदार सिवाना को गैर मुमकिन बाड़ा के नियमन का क्षेत्राधिकार नहीं था। प्रार्थी ने यह रेफरेंस आवेदन पत्र धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सहपठित धारा 82 व 9 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर इस आवंटन को गलत बताते हुए आवंटन कमेटी के आवंटन आदेश दिनांक 13.07.0974 को निरस्त करने एवं ग्राम इन्द्राणा की आराजी खसरा नम्बर 800/1 रकबा 35.03 बीघा को अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी से निरस्त कर गैर मुमकिन ओरण दर्ज करवाने हेतु मामला राजस्व मण्डल को रेफर करने का निवेदन किया।

3. रेफरेंस आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं आलोच्य अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।
4. राजकीय पैरोकार दौराने बहस कथन किया कि मौजा इन्द्राणा, तहसील सिवाना की भूमि खसरा नं. 800 रकबा 149.06 बीघा गत बन्दोबस्त के समय गैर मुमकिन ओरण राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। तहसीलदार सिवाना ने अपने आदेश दिनांक 13.07.1974 के जरिये अप्रार्थी सं. 01 को उक्त ग्राम इन्द्राणा के खसरा नं. 800/1(1380/800) रकबा 35.03 बीघा (नया खसरा संख्या 1495/800 रकबा 0.0405 हैक्टर) भूमि गैर मुमकिन ओरण के बजाय गैर मुमकिन बाड़ा दर्ज बिना जॉच भूमि का आवंटन कर दिया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत यह भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की है जिसका खातेदारी की घोषणा अथवा आवंटन आदि नहीं किया जा सकता। प्रार्थी ने यह भी तर्क दिया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राज्य में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 के द्वारा उक्त श्रेणी की भूमियों को आवंटन अथवा खातेदारी को अवैध मानते हुए निरस्त करने के निर्देश दिये हैं। आवंटन कमेटी का आदेश दिनांक 13.07.1974 को गलत एवं अवैध बताते हुए नियमन निरस्त करने एवं मामला राजस्व मण्डल को प्रेषित करने का निवेदन किया।
5. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब में निवेदन किया कि उक्त भूमि पर अप्रार्थी एवं अप्रार्थी के पूर्वजों का सैटलमेंट से पूर्व कई वर्षों से कब्जा था तथा तहसीलदार सिवाना द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए अप्रार्थी को गैर मुमकिन


जि.स. कलक्टर
खालोतरा

बाड़ा भूमि आवंटन की गई है। अतः रेफरेंस प्रार्थना-पत्र गलत, आधारहीन व सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

6. अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस एवं लिखित बहस में कथन किया कि रेफरेंस अधीन प्रश्नगत भूमि खसरा नंबर 800/1 रकबा मौजा इन्द्राणा, तहसील सिवाना में अवस्थित है। मौके पर गैर मुमकिन बाड़ा भूमि होने से उक्त भूमि के खातेदार करीब 50 वर्षों से निवासरत है तथा नियमित रूप से निर्विघन उक्त बाड़े का उपयोग व उपभोग करते आ रहे हैं। वादग्रस्त आराजी का मूल खसरा संख्या 800 में से अप्रार्थी तथा अन्य लोगों को गैर मुमकिन बाड़े आवंटित किये गये, जिसमें अप्रार्थी को गैर खातेदार दर्ज किया गया। वही इसी खसरे का एक बाड़ा खसरा संख्या 1466/800 मांगीलाल वगैरा को आवंटित किये गये, जिसमें उन्हें खातेदार दर्ज किये जा चुके हैं। धारा 14 राजस्थान भू-राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत भी आवंटन के 10 साल बाद आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे में अप्रार्थी पिछले 40 वर्षों से लगातार गैर मुमकिन बाड़े में निवास व उपभोग करते आ रहे हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रारम्भ से ओरण भूमि को प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में नहीं रखा गया। इसी प्रकार जब उक्त वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी को आवंटित हुई, उस वक्त भी ओरण प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में शामिल नहीं था, बाद में ओरण को प्रतिबंधित भूमि माना जो भविष्यलक्षी फैसला था। जिसका खामियाजा अगर अप्रार्थी को भुगतना पड़े तो यह न्यायसंगत नहीं होगा। उक्त भूमि पर अप्रार्थी एवं अप्रार्थी के पूर्वजों का सैटलमेंट से पूर्व कई वर्षों से कब्जा था तथा तहसीलदार सिवाना द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए अप्रार्थी को गैर मुमकिन बाड़ा भूमि दर्ज की गई है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

7. हमने प्रार्थी व अप्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी, उपरांत बहस पत्रावली का अवलोकन किया व मनन किया तथा अपीलांत अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार सिवाना ने यह आवेदन पत्र धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सहपठित धारा 82 व 9 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर विप्रार्थी को भूमि आवंटन कमेटी द्वारा मौजा इन्द्राणा, तहसील सिवाना के खसरा नंबर 800/01 रकबा 35.03 रकबा 35.03 बीघा (नया खसरा संख्या 1495/800 रकबा 0.0405 हैक्टयर) बीघा भूमि की अप्रार्थी की गैर खातेदारी से निरस्त कर बिला कब्जा गैर मुमकिन दर्ज करने हेतु मामला राजस्व मण्डल को रैफर करने हेतु पेश किया गया है। प्रस्तुत रेकॉर्ड के अवलोकन से यह पाया जाता है कि मौजा इन्द्राणा में अवस्थित भूमि खसरा नं. 800 रकबा 149.6 बीघा वक्त सैटलमेंट के

समय से गैर मुमकिन ओरण के रूप में दर्ज थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत चारागाह, नाडी, तालाब, नदी, ओरण आदि की भूमियां प्रतिबंधित भूमियां हैं, जिनका आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है एवं न ही खातेदारी अधिकार दिये जा सकते हैं। गलत आवंटन के फलस्वरूप पारित नामान्तरकरण गलत होने से निरस्त होने योग्य है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राज्य में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 के अनुसरण में उक्त श्रेणी की भूमियों को आवंटन अथवा खातेदारी को अवैध मानते हुए निरस्त करने के निर्देश दिये हैं। साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय ने **Jagpal Singh & Ors vs State of Punjab & Ors on 28 January, 2011** के अनुसरण में सामुदायिक भूमि को व्यक्तिगत हित में नियमन भी प्रतिबंधित किया गया है। तहसीलदार सिवाना ने इस संबंध में कोई जाँच नहीं कर बिना कोई रिकॉर्ड तथा कानून के सभी प्रावधानों को ताक में रखकर धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन कर अप्रार्थी के पक्ष में भूमि आवंटन करने एवं आवंटन के पश्चात् तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण पारित करने में भारी भूल की है, जो निरस्त करने योग्य है। प्रश्नगत भूमि का विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर आवंटन किया जाना दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित है तथा उक्त भूमि पर किसी भी व्यक्ति को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं हो सकता है। ऐसे में प्रश्नगत भूमि के आवंटन एवं नामान्तरकरणों को निरस्त करने हेतु यह मामला माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफर किये जाने योग्य है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि आवंटन कमेटी द्वारा अप्रार्थी को दिनांक 13.07.1974 को ग्राम इन्द्राणा, तहसील सिवाना के खसरा नं. 800/1 रकबा 35.03 बीघा (नया खसरा संख्या 1495/800 रकबा 0.0405 हैक्टर) भूमि आवंटन एवं तत्पश्चात् प्रदत्त उसकी खातेदारी निरस्त करने हेतु मामला राजस्व मण्डल अजमेर को रेफर किया जाता है।
9. आदेश आज दिनांक 16.04.2025 को सुनाया गया।


(सुशील कुमार)
जिला कमिश्नर, राजस्थान
बालोतरा